

रीची मल्ली -मोहनरी-मल्ला बगवार, लग्गा भकुनियां मोटर मार्ग निर्माण - 07.00 किमी0

(प्रस्ताव संख्या 9291 / 2015)।

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं।
15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग: ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	इस कार्यालय के पत्रांक 2336/12-1 दिनांक 17.04.2015 से सूचित आपत्तियों के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी/ याचक विभाग के द्वारा प्रेषिता पत्र क्रमशः दिनांक 25.04.2015 व दिनांक 23.04.2015 द्वारा प्रस्तुत आख्या एवं अभिलेखों के आलोक में सहमत। इस कार्यालय व प्रभागीय वनाधिकारी/ याचक विभाग के उक्त पत्र, मय संलग्नकों के, संलग्न है (संलग्नक- 1 से 7)।
16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है। प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित होने वाले 0-10 व 10-20 व्यास श्रेणी के सभी वृक्षों का प्रस्तावक विभाग द्वारा स्वयं के व्यय से निकटवर्ती उपलब्ध रिक्त क्षेत्रों में प्रत्यारोपण किया जायेगा तथा प्रत्यारोपित वृक्षों की सुरक्षा हेतु आवश्यक समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

दिनांक:- 28.04.2015

स्थान:- अल्मोड़ा।

(संतोष विजय शर्मा)

वन संरक्षक

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
दूरभाष : 05962-230065, फ़ैक्स: 05962-232182 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com
पत्रांक 6267/12-1(2) दिनांक, अल्मोड़ा 25-04-2015

सेवा में,

127 APR 2015

विषय—

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

रीची मल्ली-मोहनरी-मल्ला बगवार, लग्गा भकुनियां मोटर मार्ग का प्रस्ताव (प्रस्ताव सं० 9291/2015)

संदर्भ:- आपकी पत्र सं० 2336 12-1 दिनांक 17.04.2014

महोदय,

संदर्भित पत्र के क्रम में प्रस्तावक विभाग से वांछित तीन बिन्दुओं पर सूचना मांगी गयी। उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी वांछित सूचना संलग्न कर ऑन लाइन प्रेषित की जा रही है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत
दूरभाष :- 05966-220035 फ़ैक्स :- 05966-220035 ई-मेल cdpwdrkt@gmail.com

पत्रांक ⁸⁴⁷~~4147~~/18सी.

दिनांक, रानीखेत, 23/4/2015

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा,
वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषय :- रीची-मल्ली मोहनरी-मल्ला बगडवार मल्ला भकुनिया मोटर मार्ग
निर्माण का प्रस्ताव।

संदर्भ :- आपका पत्रांक 6129/12-1(2) दिनांक 18.4.2015

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में विन्दुवार आख्या निम्नवत
है :-

1. प्रस्ताव में 0.140 हे. वन पंचायत भकुनिया की भूमि प्रभावित हो रही है।
जिसका अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।
2. वनाधिकार-2006 का प्रमाण पत्र (जिलाधिकारी व जिला स्तरीय समिति)
संलग्न है।
3. आरक्षित भूमि से सम्बन्धित लैण्ड शैडयूल में प्रभागीय वनाधिकारी के
हस्ताक्षर है, जो संलग्न है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

FORM-I

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Almora

No---

Dated-----

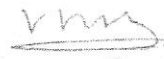
TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.065 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Construction Division, Public Work Department, Ranikhet (Almora, Uttarakhand) for Construction of Richi Malli Mahnari Malla Bagadwar Malla Bhukuniya Motor Road(7.250) in Almora district falls within jurisdiction of Malli Mahonari, Malla Bagadwar, & Malla Bhukuniya village (s) in Bhikyasen tehsil.

It is further certified that:

- (g) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.065 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.
- (h) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (i) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.


08/01/15
Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

ANNEXURE....

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT: ALMORA (UTTARAKHAND)

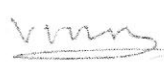
Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S Deputy commissioner Almora on date 27.01.15 at time 2:00 PM. at Almora in which application claiming rights in Malli Mahonari, Malla Bgadwar & Malla Bhakuniya area measuring 2.065 hectares. for **Construction of Richi Malli Mahnari Malla Bagadwar Malla Bhukuniya Motor Road**, of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Bhikyasen sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:Almora

Dated: 27.1.15


08-01-15
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

वन पंचायत समिति का अनापत्ति प्रमाण पत्र

आज दिनांक 21-4-2015 को वन पंचायत समिति भकुनिया
कि आम बैठक में सर्व सहमति से यह प्रस्ताव पारित किया
गया कि शासन द्वारा स्वीकृत रींची-मल्लही-मौहनरी मल्ला
खेगडवार-मल्ला भकुनिया मोटर मार्ग जो
इस वन पंचायत से होकर गुजर रही हैं उसमें वन पंचायत
समिति भकुनिया को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है
जिसमें समिति के निम्न सदस्यो द्वारा यह प्रतिभाग किया
गया।

सदस्य

राधा देवी
गोपाल सिंह
गोपाल सिंह
गोपाल सिंह
गोपाल सिंह
गोपाल सिंह
गोपाल सिंह
गोपाल सिंह
गोपाल सिंह
गोपाल सिंह

रवीश सिंह

सरपंच
भकुनिया
पिन-चौबिसा (अल्मोड़ा)

परियोजना का नाम. जनपद अल्मोड़ा में रीची-मल्ली मोहनरी-मल्ला बग्डवार-मल्ला भकुनिया
मोटर मार्ग ।

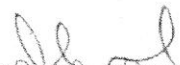
लैन्ड शेड्यूल
(वन विभाग)

जिला	प्रभाग का नाम	वन ब्लाक	लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल (हे०)
अल्मोड़ा	अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा	सोनी ब्लाक कम्पाट नं. 3	0.700 किमी.	7 मीटर	0.490 हे०

 अमीन
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

 कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

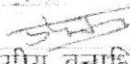
 सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

 अधिासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

 अमीन
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

 कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

 सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

 अधिासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com, ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 2336/ 12-1 अल्मोड़ा, दिनांक, 17.04.2015.

सेवा में,

**प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।**

विषय :- रीची मल्ली-मोहनरी-मल्ला बगडवार, लम्मा भकुनियां मोटर मार्ग निर्माण का प्रस्ताव (प्रस्ताव संख्या 9291/2015)।

संदर्भ :- आपका ऑन-लाइन प्रस्ताव दिनांक 17.04.2015।

महोदय,

संदर्भित मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में आपके स्तर से जो ऑन-लाइन प्रस्ताव प्रेषित किया गया है उसके हॉड-कॉपी के अवलोकन से निम्न कमियां संज्ञान में आयी हैं-

1. प्रस्ताव में 0.140 है0 वन पंचायत भूमि प्रभावित होना सूचित है परन्तु न तो वन पंचायतों का नाम स्पष्ट है और न ही सम्बन्धित वन पंचायत/वन पंचायतों का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न है।
2. वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत न तो जिलाधिकारी और न ही जिलास्तरी समिति की बैठक का प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है।
3. प्रस्तुत किये गये हार्ड कॉपी में आरक्षित भूमि से सम्बन्धित Land Shedule पृष्ठ संख्या 13 में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं।

कृपया उक्त आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव पुनः प्रेषित करें।

भवदीय

(संतोष विजय शर्मा)

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।